Annexure-1
Annexure A?

संख्या- 2401/15-7-16(211)/1995

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली।

लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 1995

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय:- श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ मुमुक्षु आश्रम शाहजहाँपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहाँपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति [illegible] के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश [illegible] शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं [illegible] निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को [illegible] केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन [illegible] फिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उस [illegible] परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से [illegible] राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता [illegible] शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा [illegible] से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Secretary
Shri Shankar Mumukshu Vidyapeeth
C.B.S.E. Sr. Sec. School
Mumukshu Ashram, Shahjahanpur

....2

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्देश दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को मान्यता दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि -

(1) विद्यालय में स्थायी स्टाफ की नियुक्ति की गई है ।

(2) सी0पी0एफ0 योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू है ।

(3) विद्यालय में निर्धारित माप के कमरे एवं तथा पुस्तकालय का निर्माण कर लिया गया है [illegible] को सुनिश्चित करने [illegible]

(4) सेवायोजकों के बारात में/शासनादेशों अनुकूल प्रति संस्था द्वारा शासन को 3 माह के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

पृ0सं0 240(1)/15-7-1995 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक बरेली मण्डल बरेली ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर ।
4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- [illegible] आश्रम शाहजहाँपुर ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

Secretary
Shri Shankar Mumukshu Vidyapeeth
C.B.S.E. Sr. Sec. School
Mumukshu Ashram, Shahjahanpur